रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273165
CG-DL-E-05062026-273165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2631] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948
No. 2631] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 2724(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2771(अ) तारीख 17.06.2025 जो भारत के साधारण राजपत्र तारीख 20.06.2025 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा नागालैंड राज्य में दीमापुर-कोहिमा-इम्फाल प्रकृतिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार नागालैंड राज्य सरकार के माध्यम से एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहित किया जाएगा;

और इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को नागालैंड राज्य सरकार में निहित होगा, जैसा कि पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (गी एंड एमपी) अधिनिगम 1962 की धारा 6 (4) के तहत प्रदान किया गया है।

अनुसूची

जिला : कोहिमा		**राज्य : नागालैंड**				
सर्कल	**मौज़ा**	**गांव का नाम**	**दाग नं**	**क्षेत्रफल**		
				हेक्टेअर	**आर**	**वर्ग मीटर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
जाखामा	-	फेसामा	एनसी	00	97	70
जाखामा	-	किगवेमा	एनसी	01	31	10
जाखामा	-	मीमा	एनसी	03	99	30
जाखामा	-	जाखामा	एनसी	02	94	30
जाखामा	-	विसवेमा	एनसी	01	72	30
जाखामा	-	विसवेमा	एनसी	05	50	60
जाखामा	-	किडिमा	एनसी	00	55	40
जाखामा	-	खुजामा	एनसी	00	69	30

[फा. सं. एल – 14014/04/2025 - जी पी - II (ई – 53203)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

S.O. 2724(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2771(E) dated 17.06.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Ordinary Gazette of India dated the 17.06.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Dimapur-Kohima-Imphal Gas Pipeline in the state of Nagaland by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Ordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the State Government of Nagaland as provided under Section 6(4) of Petroleum & Minerals Pipeline (P&MP) Act 1962.

SCHEDULE

District : Kohima		**State: Nagaland**				
Circle	**Mauza**	**Name of Village**	**Dag No.**	**Area**		
				Hec.	**Arc**	**Sq.Mtr.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Jakhama	-	Phesama	NC	00	97	70
Jakhama	-	Kigwema	NC	01	31	10
Jakhama	-	Mima	NC	03	99	30
Jakhama	-	Jakhama	NC	02	94	30
Jakhama	-	Viswema	NC	01	72	30
Jakhama	-	Viswema	NC	05	50	60
Jakhama	-	Kidima	NC	00	55	40
Jakhama	-	Khuzama	NC	00	69	30

[F. No. L – 14014/04/2025- G P – II (E - 53203)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.05 11:41:06 +05'30'